


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2012/
9919-46 दिनांक 1.8.2012 के द्वारा राज्य के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं
नागौर जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में प्रभावित
काश्तकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प
अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस
संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- अधिसूचना की प्रति


(अभय कुमार)
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:-एफ 1(1)(4) आ.प्र. एवं सहा./सामान्य/2011/ 9964-65
जयपुर, दिनांक 3-8-2012
प्रतिलिपि:-पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


शासन उप सचिव